12-8-2015

19

कार्यालय जिला अधिकारी, चमोली

पत्रांक – 1233 / जि0यो0 / 2015–16 दिनांक 11/08 / 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
थराली

विषय :– वित्तीय वर्ष–2015–2016 के आय–व्ययक की जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 584/XXVII (1)/2015 दिनांक 14 मई 2015 के कम में वित्तीय वर्ष 2015–16 की अनुमोदित जिला योजनान्तर्गत कुल 14 चालू/निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्यों के लिये मार्ग/सेतु के लिये अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन पर रखी गयी कुल धनराशि ₹215.55 (दो करोड़ पद्रह लाख पचपन ~~लाख~~ हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अनुदान सं0 07 (सामान्य)₹91.00 (इकानवे लाख मात्र) एवं अनुदान सं 30 (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत ₹19.55 लाख (उन्नीस लाख पचपन हजार मात्र), मार्ग/सेतु के लिए कुल ₹110.55 लाख(एक करोड़ दस लाख पचपन ~~लाख~~ हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये आवंटित धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराषि का उपयोग नयी मदों के कियान्वयन के लिये न किया जाय :
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यकता है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में ससमय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्त हस्तपुस्तिका के नियमों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. स्वीकृत धनराशि में किसी मद में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।
6. निर्माण कार्य को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की समय–सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके। साथ ही शासनादेश वित (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के पत्र संख्या 80/XXXVII (7)/2008 दिनांक 15 जून 2015 द्वारा जारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली, चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

(10) 20

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्यूरमेंट) संशोधित नियमानवली 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें तथा आदेश सं0 475/XXXVII (1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

7. निर्माण कार्य पर धनराशि व्यय करने से पूर्व कार्य के प्रारम्भ, मध्य व अन्त में फोटोग्राफ लेना सुनिश्चित करते हुये उसे पत्रावली का भाग बनाया जायेगा तथा तथा निरीक्षण/जांच के समय समस्त अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे।

8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक सुनिश्चित किया जाय तथा मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रख जाय तथा अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय। कार्यदायी संस्थाओं से मासिक व्यय व भौतिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारुप पर अगले माह की दूसरी तिथि तक विभागाध्यक्ष एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी, चमोली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. शासनादेश संख्या 584/XXVII (1)/2015 दिनांक 14 मई 2015 के निर्देशानुसार निम्न मानक मद हेतु व्यय किया जायेगा। अनुदान सं0– 07 (सामान्य) एवं अनुदान सं0 30 (अनुसूचित जनजाति) के लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम –00–102 सामुदायिक विकास– 91 –जिला एवं 10 – जिला योजना चमोली के कियान्वयन हेतु एक मुश्त व्यय – 42 – अन्य निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के नामे डाले जायेगा।

10. धनराशि आहरण डी0डी0ओ0 कोड संख्या – 4228 से किया जायेगा।

जिलाधिकारी
चमोली

पत्रांक: _____ /जि0 यो0/2015–16 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ओबराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो0नि0वि0 देहरादून।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6– मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो0नि0वि0 पौडी।
7– निदेशक अर्थ एवं संख्या उत्तराखण्ड 100/06 नैशविला रोड देहरादून।
8– अधीक्षण अभियन्ता सातवां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
9– बजट नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
10– वरिष्ठ कोषाधिकारी गोपेश्वर।
11–उप कोषाधिकारी थराली।
11–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चमोली।
12– गार्ड फाइल हेतु।

जिलाधिकारी,
चमोली

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली, चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

खण्ड का नाम :– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 थराली।

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	प्रस्तावक का नाम	योजना का नाम	अनुमानित (लाख में)	(किमी0 / सं0)	
1	2	3	4	5	6	5
1	थराली	लो0नि0वि0 थराली / श्री राकेश जोशी, ब्लाक प्रमुख, थराली	ग्राम कल्याणी में पिण्डर नदी के ऊपर झूला पुल का पहुंच मार्ग एवं अवशेष कार्य।	28.00	1 Job	--
2	थराली	लो0नि0वि0 थराली	थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग के किमी0 1 में निर्मित 9 मी0 आर0सी0सी0 मोटर सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	5.00	1 Job	--
3	देवाल	प्रो0 जीत राम, मा0 विधायक, थराली	टैक्सी स्टैण्ड देवाल से विकास खण्ड कार्यालय देवाल तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	14.00	0.30 Km.	--
4	नारायणबगड़	–तदैव–	कुलसारी–आलकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.50 से 6.00 तक मार्ग का विस्तार।	17.55	0.50 Km.	--
5	नारायणबगड़	श्रीमती मुन्नी शाह, मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत चमोली	आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	2.00	2 Km.	--
6	नारायणबगड़	–तदैव–	चिरखुन के घट गधेरे में 24 मी0 लौह पैदल सेतु का निर्माण।	14.00	24 m.	--
7	नारायणबगड़	प्रभारी मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	ग्राम पंचायत रैंस में अनुसूचित जाति बस्ति अगरोटी नामक तोक गधेरे में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	12.00	12 m.	--
8	थराली	श्रीमती भावना रावत, सदस्य जिला पंचायत, थराली वार्ड	रा0इं0का0 ग्वालदम हेतु पहुंच मोटर मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षा दीवार का निर्माण।	9.00	20 m.	--
9	थराली	–तदैव–	ग्वालदम से थराली की ओर क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग पर सी0सी0 द्वारा मरम्मत का कार्य।	15.00	1 Job	--
10	थराली	श्री राकेश जोशी, ब्लाक प्रमुख, थराली	विकास खण्ड थराली कार्यालय के पहुंच मार्ग में सुधारीकरण का कार्य।	12.00	1 Job	--
11	नारायणबगड़	श्री प्रदीप बुटोला, जिला पंचायत सदस्य	पंती के ऊपर विनायक गधेरे में आर0सी0सी0 पैदल सेतु का निर्माण।	12.00	12 m.	--
12	नारायणबगड़	–तदैव–	ग्राम पंचायत पंती में पंती गधेरे पर 24 मी0 स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण।	20.00	24 m.	--
13	नारायणबगड़	श्री मनोज भंडारी, जिला पंचायत सदस्य	भ्याड़ी से धारवारम हेतु मलतुरा गधेरे में 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण।	20.00	24 m.	--
14	नारायणबगड़	–तदैव–	मैदूनी गधेरे में जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित आर0सी0सी0 पैदल सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	15.00	1 Job	--
			योग	215.55		

11/08/20

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
थराली, चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0